



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312 फ़ैक्स 213073

www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

क्र. / प्रशा. / 17,

बिलासपुर, दिनांक / 03 / 2017

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 59 वीं बैठक दिनांक 26/02/2017 के प्रस्ताव क्रमांक 14 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती/पदोन्नति नियम, 2017 के अनुमोदन पश्चात् इस विश्वविद्यालय के लिये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

— सी —
कुलसचिव

पृ. क्रं. ८७९६ / प्रशा. / 17,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक ०१/०३/२०१७

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ हेतु।
3. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष र-थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नस्ती हेतु।

Rudra
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती/पदोन्नति नियम, 2017

(संदर्भ: अधिनियम की धारा 25 एवं परिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति/पदोन्नति हेतु प्रवृत्त)

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	पदोन्नति	सीधी भर्ती से नियुक्ति	नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	अनुभाग अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	100%	...	1 अच्छा कार्य, व्यवहार। 2. विगत तीन वर्ष की चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी न हो। 3. वरिष्ठ अधीक्षक या समकक्ष पद में 3 वर्ष का कम से कम कार्य अनुभव 4. अधीक्षक या समकक्ष में स्थाई हो या स्थायीकरण के योग्य हो।
2.	सहायक ग्रेड-02	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	100%	-	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (द्वितीय श्रेणी कम से कम), विश्वविद्यालयीन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता। अथवा सहायक ग्रेड-03 के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव।
3	सहायक ग्रेड-03	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/

					प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा, 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)
4	कुलपति/ कुलसचिव के निज सहायक	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	100% *	-	1. शीघ्र लेखक के पद पर कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव। 2. अच्छा कार्य व्यवहार। 3. पाँच वर्ष की चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी न हों। 4. वर्तमान में स्थाईकरण हो चुका हो। * टीप :- यद्यपि यह पदोन्नति का पद है तथापि कुलपति/कुलसचिव न्यूनतम योग्यता को शिथिल करते हुये विश्वविद्यालयीन कनिष्ठ कर्मचारी की अस्थायी रूप से अनुशंसा कर सकेंगे जो उनके कार्यकाल तक सीमित होगा।
5	डाटा आपरेटर ऐट्री	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. डाटा एंटी आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंटी की गति 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)

6	सहायक प्रोग्रामर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एजुकेशन।
7	वाहन चालक	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. हल्के/भारी वाहन चालक का जीवित वैध लाइसेंस।
8	स्टेनो टायपिस्ट	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेंकंडरी उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाइप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट। 3. मान्य प्राप्त संस्था/वि.वि. से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।
9	लेखापाल	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (द्वितीय श्रेणी कम से कम), विश्वविद्यालयीन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को प्राथमिकता। अथवा लेखा कार्य में सहायक ग्रेड-03 के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव।
10	मानचित्रकार	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	1. मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। 2. आई.टी.आई. में सिविल ड्राफ्ट्समेन परीक्षा उत्तीर्ण।
11	मशीनमेन	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	1. मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। 2. प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में आई.टी.आई. उत्तीर्ण।
12	माली	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	-	100%	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण। माली प्रशिक्षण में प्रमाण-पत्र।

Risab

13	स्वीपर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण।
14	भृत्य	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण।
15	मिस्त्री/राजमिस्त्री	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण। 2. राजमिस्त्री ट्रेड में आई.टी. आई. उत्तीर्ण।
16	कारपेंटर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण। 2. कारपेंटरी ट्रेड में आई.टी. आई. उत्तीर्ण।
17	बुक अटेन्डर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण।
18	बुक बाईन्डर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवम् दो वर्ष का बुक बाईन्डिंग का कार्यानुभव।
19	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के साथ न्यूनतम 3 वर्ष का सहायक वर्ग- 1 या समकक्ष पर पर कार्यानुभव। 2. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण।
20	बुक लिफ्टर	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित	—	100%	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

1. विश्वविद्यालय कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य शासन के नियमानुसार कमोन्नति/समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।
2. विश्वविद्यालय परिनियम 13 की परिशिष्ट में उल्लेखित राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित वेतनमान एवं अन्य लाभ देय होंगे।
3. विश्वविद्यालय के समस्त नियुक्ति एवं पदोन्नति में छ.ग. शासन के समस्त आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर किए गये परिवर्तन एवं योग्यता को परिनियम/नियम में स्वयंसेवक समाहित माना जावेगा।

8. उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। यह भी कि उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु जहाँ राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा न्यूनतम अर्हता न की गई हो, वहाँ राज्य शासन द्वारा तय अर्हता मान्य होगी।

6. सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदोन्नति हेतु शोष्यता -

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 12वीं/हायर सेकेंड्री परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद पर आठ वर्ष की सेवायें पूर्ण कर चुका हो।
3. कर्म लेखावर अच्छा हो। चरित्रावली पदोन्नति तिथि से पिछले तीन वर्षों का देखा जायेगा, पिछले तीन वर्षों में एक भी वर्ष की चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी होने पर पदोन्नति की निम्न श्रेणी से कम से कम एक वर्ष पश्चात् पुन विचारणीय होगा।
4. ऐसे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12 वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण हो साथ ही कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंट (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) नियमानुसार कर लेता हो तो सहायक ग्रेड-03 के पद पर छ.ग. शासन के नियमानुसार पदोन्नति के पात्र होंगे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा तय न्यूनतम चरित्रावली अंक प्राप्त करने पर ही पदोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

चतुर्थ श्रेणी के पदों का नाम छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार जो उपरोक्त नियमानुसार सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदोन्नति की पात्रता रखेंगे - टाइम कीपर, प्लम्बर, लेव अटेंडेंट, लाइवरी अटेंडेंट, फील्ड अरिसाटेंट, दाफतरी, हेड प्यून मल्लीग्राफर, बुक अटेंडेंट, सहा. बुक बाइंडर, चपरासी, चौकीदार, माली, म्यूजियम अटेंडेंट, डाईह्वर/प्यून केयर टेकर, गेटमैन, अटेंडेंट, बर्कशाप अटेंडेंट, मेड सर्वेंट, खलासी, पम्पमैन/अटेंडेंट, हास्टल सर्वेंट, ग्राउन्ड्स मेन, कुक, सर्वर, बरउ, एनिमल केयरटेकर/हाऊस कीपर, बुक लिफ्टर, प्यून, जमादार।

6. विभागीय पदोन्नत/क्रमोन्नति समिति -

(1) विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु एक समिति होगी जिसका गठन निम्नांकित अनुसार होगा-

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| (1) उप कुलसचिव | - | अध्यक्ष |
| (2) वित्ताधिकारी | - | सदस्य |
| (3) वरिष्ठतम सहायक कुलसचिव | - | सदस्य |

Riswadi

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|---------------------------------------|
| (4) | अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि | - | सदस्य (आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार) |
| (5) | अनु. जनजाति प्रतिनिधि | - | सदस्य बिन्दु क्रं 8 के आधार पर |
| (6) | अनु. जाति प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (7) | अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि | - | सदस्य |

किन्तु यदि उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय में पदस्थ न हो तो कुलपति जी किसी अन्य अधिकारी/शिक्षक को पदोन्नति समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मनोनीत करेंगे।

- (2) उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (प्रशासन) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होंगे जो समिति के समक्ष पदोन्नति योग्य समस्त प्रकरणों को विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- (3) समिति परिनियम 13 के अनुसार प्रकरण पर समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन देंगी।
- (4) समिति की बैठक परिनियम 13 अनुसार समय-समय पर आहूत की जा सकेगी।
- (7) वरिष्ठता :- विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता का कुल आधार छ. ग. सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 19-1 होगा।
- (8) सीधी भर्ती हेतु चयन समिति निम्नानुसार होगी-

1. कार्य परिषद सदस्य - अध्यक्ष (कुलपति द्वारा नामांकित)
2. वित्ताधिकारी - सदस्य
3. उप कुलसचिव, (प्रशासन) - सदस्य सचिव
(उप कुलसचिव की अनुपस्थिति में कुलसचिव द्वारा नामांकित सदस्य)
4. अल्प संख्यक वर्ग प्रतिनिधि - सदस्य (कुलपति द्वारा नामांकित)
5. विभागाध्यक्ष/पद से संबंधित विषय विशेषज्ञ - सदस्य (आवश्यकतानुसार)
6. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधि -

अध्यक्ष को छोड़कर शेष सदस्यों में से इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होने पर कम से कम संख्या 6 के अलग से प्रतिनिधि कुलपति द्वारा नामांकित किया जावेगा।

यह भी कि, यदि उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय में पदस्थ न हो तो कुलपति जी किसी अन्य अधिकारी/शिक्षक को चयन समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करेंगे।

R. D. D. D.

Date: 6/6/8

(8.1) सीधी भर्ती परीक्षा अवधि नियुक्ति तिथि से मानी जावेगी, किन्तु यदि एक ही आदेश के तहत अनेक कर्मचारियों की एक साथ नियुक्ति की गई हो, उनकी आपस में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश की वरीयता क्रम में किया जाएगा।

(8.2) नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी परीक्षा की समाप्ति पर गुणानुक्रम के अनुसार स्थायीकरण में बरकरार रखी जायेगी। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की परीक्षा अवधि में वृद्धि की जाती है। तो उसका स्थायीकरण दो वर्ष के बाद की तिथि से होगा तथा उसकी वरिष्ठता का निर्धारण आदेश देने वाले प्राधिकारी के विवेकाधीन होगा। यह चाहे तो बाद में स्थायीकरण की तिथि से वरिष्ठता दे अथवा सामान्य परीक्षा अवधि की समाप्ति की तिथि से।

(9) पदोन्नत कर्मचारी :-

कोई पदोन्नत विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी ज्येष्ठता की गणना उस सेवा में जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है अपनी स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा पद क्रम सूची में उस सेवा के अंतिम स्थायी सदस्य के ठीक नीचे किन्तु परीक्षाधीन व्यक्तियों के ऊपर रखा जावेगा।

परंतु जहां दो या अधिक पदोन्नत विश्वविद्यालय कर्मचारी की एक ही तारीख को स्थायीकरण की जाती है तो नियुक्ति अधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हें स्थायी किया गया है उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम में जिसमें पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए तैयार की गई योग्यता क्रम सूची में यदि कोई हो, शामिल किये गये हों और उनकी निचली सेवा में जिसमें वे पदोन्नत किये गये हैं आपेक्षित ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जावेगी।

(10) आचरण नियम :-

विश्वविद्यालय अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 के अंतर्गत निर्मित परिनियम 13 में वर्णित आचरण नियम विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू है किन्तु इसमें वर्णित प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त है। अतः विश्वविद्यालय कर्मचारियों के प्रकरणों के निपटारा हेतु म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की समय-समय पर उनमें सुधार लागू होंगे। (आधार म.प्र. सिविल सेवा) (आचरण नियम 1965)

(11) गोपनीय प्रतिवेदन :- विश्वविद्यालय कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन का लेखन एवं उनकी प्रक्रिया तथा टीकायें सामान्य पुस्तक परिपत्र खण्ड एक में निहित प्रावधानों के

RWS

अनुसार तथा समय-समय पर शासन द्वारा उनके लिये किये गये सुधारों के अनुरूप लागू होगी।

- (12) चयन प्रक्रिया - पदनाम, उम्मीदवारों की संख्या, सुयोग्यता, अनुभव/उम्मीदवारी इत्यादि के आधार पर चयन प्रक्रियाएं (प्रावीण्यता निर्धारण) भिन्न-भिन्न होंगी। चयन हेतु कुल 100 गुणांक के आधार पर प्रावीण्यता कम में विचार होगा। (अ) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के 20 (बीस) प्रतिशत अंक (ब) इस प्रदेश के मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव के लिये प्रति पूर्ण अनुभव वर्ष पर दो अंक के हिसाब से अधिकतम 20 (बीस) अंक और (स) तकनीकी/कौशल/अभिक्षमता परीक्षा पर 20 (बीस) अंक (द) स्क्रीनिंग टेस्ट पर 40 (चालीस) अंक होंगे। अर्थात् कुल 100 (सौ) अंक पर विचार होगा।
13. आयु सीमा :- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तत्समय घोषित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा लागू होगी तथा विभाग द्वारा दी गई छूट नियमानुसार लागू होगी। ऐसे आवेदक जो पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं को कार्यरत अवधि (आवेदन की अंतिम तिथि को) के बराबर अधिकतम आयुसीमा में अतिरिक्त छूट दी जायेगी। किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
14. शासन द्वारा निर्धारित कम आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथा जिन आवेदकों की 2 से अधिक संतान हो जिनमें एक का जन्म 26/01/2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
15. इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।
16. इस नियम में उल्लेखित समस्त प्रक्रिया या अन्य शर्तों को विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय को होंगे, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।

..... 0000.....

Re. Wadde